//

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

वाद संख्याः— 90/2025 दर्ज तिथिः—17.1.2025

बाबूलाल उम्र 65 साल पुत्र धूलीलाल जाति कुम्हार निवासी मधुवन रिसोर्ट के पास लंका कालोनी बारा जिला बारा राजस्थान।

—वादी—

— बनाम—

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान

— प्रतिवादी—

वाद अर्न्तगत धारा 88,89,209 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगणने जरिये अधिवक्ता हस्तगत वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि—वादी ने खातेदार रुकमणीबाई पत्नि जमनालाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम बांगडस्या तहसील सॉगोद जिला कोटा राजस्थान की आराजी माल ग्राम बागडस्या पटवार हल्का किशनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता संख्या 48 (नई) की खसरा नम्बर 108 की रकबा 1.40 हैक्टर की आराजी मे से 0.16 हैक्टर की आराजी उत्तरी पश्चिमी दिशा की जयें रजि० विकय विलेख जिसकी पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 85 पृष्ठ संख्या 149 कम संख्या 2017000829 से दिनांक 7.7.2017 को उप पंजीयक कार्यालय सांगोद में पंजीकृत से कय की थी, और तब से ही वादी उक्त आराजी के उत्तरी पश्चिमी दिशा की 0.16 हैक्टर की आराजी पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी की उक्त आराजी के उत्तरी पश्चिमी दिशा की 0.16 हैक्टर का राजस्व विभाग के कर्मचारियो के द्वारा नामान्तरण संख्या 122 से दिनांक 21.8.2017 को स्वीकार कर उपरोक्त वर्णित विकय विलेख के आधार पर वादी की आराजी को पृथक खाता करके खाता संख्या 30 की खसरा नम्बर 108/329 की रकबा 0.16 हैक्टर का खाता दर्ज कर दिया है, तथा शेष आराजी का खाता संख्या 19 नया की खसरा नम्बर 108 की रकबा 1.24 हैक्टर दर्ज कर दिया, जो अन्य खातेदारो के खाते दर्ज है। वादी के द्वारा अपनी खसरा नम्बर 108/329 की रकबा 0.16

उपखण्ड अधिकारी

हैक्टर उत्तरी पश्चिमी दिशा की आराजी पर अपने देवी देवताओ की उपासना के लिए चबुतरे का निर्माण किया तो खसरा नम्वर 108 के अन्य खातेदारो के द्वारा मेरे निर्माण किये गये पक्के देवीय चवुतरे व मूर्ति को नष्ट कर दिया है, और जव वादी के द्वारा अपने खाते की आराजी पर चवुतरा वनाने वाली वात वताई तो खसरा नम्वर 108 के खातेदारो ने कहा की ये भूमि आपके खाते की नहीं है, इसके वाद वादी के द्वारा राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस की नकले प्राप्त की तो वादी को जानकारी में आया की राजस्व कर्मचारियो के द्वारा वादी के कय शुदा खसरा नम्वर 108/329 की रकवा 0.16 हैक्टर की उत्तरी पश्चिमी दिशा की आराजी को नक्शा ड्रेस में उत्तरी पूर्वी दिशा में गलत नक्शा टरमिम कर इन्द्राज दर्ज कर दिया है. जिससे वादी के कब्जे एवं स्वामित्व की आराजी के मौके की स्थिती बदल गई है, ओर उक्त गलती का फायदा उठाकर खसरा नम्बर 108 के खातेदारो में वादी को अपनी खाते एवं कब्जे काश्त की कय शुदा आराजी से वेदखल करने पर आमदा है, वादी के द्वारा उक्त गलती को दुरस्त करने हेतु पटवारी हल्का महोदय व तहसीलदार महोदय से दिनांक 20.11.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त गलती को दुरस्त करने का निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय के द्वारा कहा गया की उक्त गलती नक्शा ट्रेस की है, जिसकी दुरस्ती हेतु उपजिला कलेक्टर सांगोद से आदेश लाना पडेगा, इस वास्ते उक्त नक्शा ट्रेस की गलती को दुरस्त करवाने हेतु आवश्यक अन्य दस्तावेज प्राप्त कर माननीय न्यायालय में अविलम्ब यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है व साथ ही खसरा नम्बर 108 के अन्य खातेदारो के द्वारा उक्त गलती वश गलत रिकोर्ड से वादी को नाजायज परेशान करने से उक्त इन्द्राज दुरस्ती का वाद पेश किया जा रहा है. राजस्व रेकार्ड की नकल जमावंदीया और नक्शा ट्रेस साथ संलग्न है। वाद कारण आज से 20 दिन पूर्व वादी के द्वारा निर्मित देवीय चबुतरे को खसरा नम्बर 108 के खातेदारो के द्वारा विवादित बताकर डहाकर उक्त चबुतरे को नष्ट करने के बाद विवाद होने से वादी के द्वारा आवश्यक राजस्व रिकोर्ड व नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त करने पर उक्त त्रुटि की जानकारी होने पर तहसीलदार महोदय के द्वारा उक्त त्रुटी / गलती नक्शे की होने से दुरस्ती हेतु उपजिला कलेक्टर सांगोद से आदेश लाने की कहने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे उत्पन्न हुआ है। वाद वास्ते घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती हेतु वाद का मुल्यांकन 2000 रुपये नियत किया जाकर उक्त वाद अवधि मध्य उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। विवाद ग्रस्त आराजी माल ग्राम बांगडस्या तहसील सॉगोद में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त कार्यवाही का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद को आवश्यक पक्षकार होने से उक्त वाद में प्रतिवादी के रुप मे पक्षकार बनाया गया है, अतः वादपत्र श्रीमान की सेवा मे प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार कर निम्न आशय की डिकी पारित फरमाई

उपखण्ड अधिकारी

जाकर नक्शा ट्रेस मे अमल दरामद किया जाये कि –वादी के द्वारा अपनी खसरा नम्बर 108/329 की रकबा 0.16 हैक्टर उत्तरी पश्चिमी दिशा की आराजी पर अपने देवी देवताओ की उपासना के लिए चबुतरे का निर्माण किया तो खसरा नम्बर 108 के अन्य खातेदारो के द्वारा मेरे निर्माण किये गये पक्के देवीय चबुतरे व मूर्ति को नष्ट कर दिया है, और जब वादी के द्वारा अपने खाते की आराजी पर चबुतरा बनाने वाली बात बताई तो खसरा नम्बर 108 के खातेदारो में कहा की ये भूमि आपके खाते की नहीं है. इसके बाद वादी के द्वारा राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस की नकले प्राप्त की तो वादी को जानकारी में आया की राजस्व कर्मचारियो के द्वारा वादी के कय शुदा खसरा नम्बर 108/329 की रकबा 0.16 हैक्टर की उत्तरी पश्चिमी दिशा की आराजी को नक्शा ट्रेस मे उत्तरी पूर्वी दिशा मे गलत नक्शा तरमीम कर इन्द्राज दर्ज कर दिया है, जिससे वादी के कब्जे एवं स्वामित्व की आराजी के मौके की स्थिती बदल गई है, वादी की कय शुदा आराजी खसरा नम्बर 108/329 की रकबा 0.16 हैक्टर की उत्तरी पश्चिमी दिशा की नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 108/329 की रकबा 0.16 हैक्टर की उत्तरी पूर्वी दिशा के अंकन की त्रुटी को सही करके नक्शा ट्रेस मे खसरा नम्बर 108/329 की रकबा 0.16 हैक्टर की उत्तरी पश्चिमी दिशा में नक्शा तरमीम कर इन्द्राज दर्ज करने के सादर आदेश पारित फरमावे, उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड व नक्शा ट्रेस मे अमल दरामद किया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया। बाद तलबी राज्य सरकार की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा इस आशय का जवाब मय मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि विकय विलेख दिनांक 7.7.2017 रजि.संख्या 2017000829 के आधार पर नामान्तरण दर्ज हुआ था जिसमें तरमीम उत्तर–पश्चिम दिशा में न कर उत्तर–पूर्व में त्रुटिवश कर दी गई थी। उक्त तरमीम खसरा नंबर 108 में उत्तर–पश्चिम दिशा में होना है जिसक रकबा 0.16 हैक्टर है। खातेदार बाबूलाल वर्तमान में मौके पर भी उत्तर–पश्चिम दिशा में कब्जाकाश्त कर रहा है। मौका रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित नक्शा भी प्रस्तुत किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रकरण में तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं विकय विलेख दिनांक 7.7.2017 के अवलोकन तथा इन्तकाल संख्या 122 दिनांक 21.08.2017 का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 108 रकबा 1.40 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर उत्तरी–पश्चिमी दिशा की कय की गई थी जिसकी पुष्टि तमाम राजस्व रिकार्ड से होती है किन्तु वक्त तरमीम प्रार्थी के उक्त

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला कोटा

क्रयशुदा भूमि की तरमीम गलत स्थान पर कर दी गई है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना उचित होने से दावा वादी स्वीकार करना उचित समझती हूं।

अतः दावा वादी स्वीकार कर आदेश किये जाते हैं कि ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का किशनपुरा तहसील सांगोद के खसरा नंबर 108/329 रकबा 0.16 हैक्टर को राजस्व नक्शाशीट में वर्तमान में अंकित स्थान से हटाया जाकर विक्रय विलेख दिनांक 7.7.2017 के अनुसार खसरा नंबर 108 के उत्तर–पश्चिमी कोने में अंकित किया जाकर त्रुटिपूर्ण तरमीम को दुरूस्त किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.03.25 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द अन्तिम डिक्री मुकदमात इब्तदाई
आर.रूल्स 6–7 जाप्तादीवानी

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

वाद संख्याः– /   दर्ज तिथिः–

बाबूलाल उम्र 65 साल पुत्र धूलीलाल जाति कुम्हार निवासी मधुवन रिसोर्ट के पास लंका कालोनी बारा जिला बारा राजस्थान।

–वादी–

– बनाम–

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान

– प्रतिवादी–

वाद अर्न्तगत धारा 88,89,209 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–
श्री चेतनप्रकाश सुमन, छगनलाल सेनी (वकील वादी)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसालकतई रूबरू मुझ श्रीमती सपनाकुमारी (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री मनोज कुमार वैष्णव वादी मिनजानिबमुदई रूबरू .... प्रतिवादीगण मिनजानिबमुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि– **दावा वादी स्वीकार कर आदेश किये जाते हैं कि ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का किशनपुरा तहसील सांगोद के खसरा नंबर 108/329 रकबा 0.16 हैक्टर को राजस्व नक्शाशीट में वर्तमान में अंकित स्थान से हटाया जाकर विक्रय विलेख दिनांक 7.7.2017 के अनुसार खसरा नंबर 108 के उत्तर–पश्चिमी कोने में अंकित किया जाकर त्रुटिपूर्ण तरमीम को दुरूस्त किया जावे।** नीज ... x ...मुबलिग ....x ...बाबत ...x ..खर्चा इस मुकद में का मय सूद व भारह ...x ...फीस दी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... x दृको अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.3.26.... को जारी की गई।

मोहर ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

स्टाम्पअर्जीदावा '''' स्टाम्पवकालतनामा '''' स्टाम्पवजहसबूत '''' महनतानावकील '''' खर्चागवाहान '''' फीसकमि नर '''' बाबतइजराय हुकमनामा '''' मुतफर्रिक '''' मीजान ''''	........NIL......		स्टाम्पवकालतनामा '''' स्टाम्पअर्जी '''' महनतानावकील '''' खर्चागवाहान '''' फीसकमि नर '''' बाबतइजराय हुकमनामा '''' मुतफर्रिक '''' मीजान ''''	........NIL......	

नोट :–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हरदोफरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

श्रीमती सपना कुमारी (आर0ए0एस0)
उपखण्डअधिकारीसांगोद